न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00129

रामकरण आयु 60 वर्ष आत्मज रामगोपाल जाति माली निवासी भंवर खोल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पुरया उर्फ फोरया आयु 74 वर्ष आत्मज लक्खा जाति माली निवासी भंवरखोल तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. संतोष आयु 32 वर्ष पुत्री पुरया उर्फ फोरया पत्नी राजेश जाति माली निवासी छत्रपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
   1/2. परमानन्द आयु 29 वर्ष आत्मज पुरया उर्फ फोरया ।
   1/3. महेन्द्र आयु 26 वर्ष आत्मज पुरया उर्फ फोरया जातियान माली निवासीगण वार्ड संख्या 04 शंकर कॉलोनी पावर हाउस के पास, के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. किशन गोपाल आयु 45 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति माली निवासी नयागॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामरतन आयु 40 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति माली निवासी नयागॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. रामराज आयु 35 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति माली निवासी नयागॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
6. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट मृतक पुरया उर्फ फोरया ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92, 188 एवं 92(ए) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नयागॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 224 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में सिवाचक सरकारी भूमि दर्ज थी । उक्त भूमि को वादी ने करीब 55 वर्ष पहले नोतोड से फाडकर कृषि योग्य बनाया था और निरन्तर स्वयं काश्त करता आया है । गत सेटलमेंट में वादग्रस्त आराजी पर वादी के साथ–साथ प्रतिवादी रामकरण के नाम की भी गैर कानूनी रूप से जारी कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर अवैध व अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी रामकरण के अकेले के नाम सेटलमेंट पर्चा जारी करके उसके नाम खातेदारी दर्ज कर दी जबकि कानूनी रूप से सेटलमेंट विभाग को सिवायचक आराजी पर किसी के पक्ष में खातेदारी अधिकार देने का कोई अधिकार नहीं था उनका यह कृत्य गैर कानूनी है और प्रभावशून्य है । खसरा नम्बर 225 और 228 प्रतिवादी रामकरण ने वादी के पक्ष में एक तहरीर दिनांक 03.06.1984 को लिखकर दे दी तब से ही उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 225 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा का वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा उक्त भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण क्रम क्रम 1 लगायत 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2015 के द्वारा वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसके हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 224 में से 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोडेन्ट को करने में भारी त्रुटि की है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाबदावा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हुए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वादग्रस्त आराजी में से किसी भी हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी का खातेदार अपीलान्ट है अपीलान्ट ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से रेस्पोडेन्ट क्रम 2, 3 व 4 को कर दिया तब से ही वे उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की आड में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने का प्रयास करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल दिनांक 30.10.2015 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी क्रम 05 की तलबी में चल रही थी और उसमें दिनांक 27.07.2015 की तारीख नियत की गई थी । इससे पूर्व ही इसको दिनांक 15.06.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी क्रम 02, 3, 4 और 6 की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है और न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी क्रम 05 की तलबी में लम्बित थी और इसमें दिनांक 27.07.2015 की तारीख दी गई थी । इससे पूर्व ही इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4 और 6 की उपस्थिति दर्ज की गई है । प्रतिवादी संख्या 01 अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.1.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा